Ref. No. UOU/ यो.बो./बैठक/23
Date 06/09/2023

सेवा में,

1. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नवाबी रोड़, हल्द्वानी।
2. प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, भौतिक विज्ञान विभाग, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
3. डॉ0 बी0एम0 कुमार, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), समाजशास्त्र, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।
4. प्रोफेसर उमेश चन्द्र पाण्डेय, निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएं, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
5. डॉ0 के0एन0 बधानी, प्रोफेसर, अकॉउन्टिंग एण्ड फाइनेंस एरिया, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई0एम0आई0), काशीपुर
6. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
7. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. डॉ0 कमल देवलाल, सह-प्राध्यापक, भौतिकी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
9. डॉ0 भानु प्रकाश जोशी, सहायक प्राध्यापक, योग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
10. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
11. श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक **06 सितम्बर, 2023 (बुधवार)** को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **योजना बोर्ड की षष्टम** बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

06.09.23

कुलसचिव/ सचिव, योजना बोर्ड

प्रतिलिपि:- माननीय कुलपति जी के निजी सचिव को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 06 सितम्बर, 2023 (बुधवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रात: 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न योजना बोर्ड की षष्टम बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया :

1.	प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नवाबी रोड़, हल्द्वानी।	सदस्य
3.	प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, भौतिक विज्ञान विभाग, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।	सदस्य
4.	डॉ0 बी0एम0 कुमार, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), समाजशास्त्र, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।	सदस्य
5.	प्रोफेसर उमेश चन्द्र पाण्डेय, निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएं, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।	सदस्य
6.	प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
7.	डॉ0 कमल देवलाल, सह-प्राध्यापक, भौतिकी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
8.	डॉ0 भानु प्रकाश जोशी, सहायक प्राध्यापक, योग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल

9. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, — सदस्य सचिव
कुलसचिव/निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

10. श्रीमती आभा गर्खाल, — आमंत्रित सदस्य
वित्त नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

11. प्रोफेसर सोमेश कुमार, — आमंत्रित सदस्य
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

सर्वप्रथम कुलसचिव/सदस्य सचिव, योजना बोर्ड द्वारा कुलपति, अध्यक्ष, योजना बोर्ड तथा सभी उपस्थित सदस्यों का योजना बोर्ड की षष्टम बैठक में स्वागत किया गया। कुलसचिव ने विशेष रूप से योजना बोर्ड की बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया गया।

तदुपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों- श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, डॉ0 बी0एम0 कुमार एवं प्रोफेसर उमेश चन्द्र पाण्डेय का परिचय देते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर बैठक में प्रतिभाग किया गया। कुलपति जी द्वारा योजना बोर्ड के एक अन्य बाह्य सदस्य डॉ0 के0एन0 बधानी, प्रोफेसर, अकॉउन्टिंग एण्ड फाइनेंस एरिया, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई0एम0आई0), काशीपुर, जो व्यक्तिगत कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, का भी परिचय योजना बोर्ड के समस्त सदस्यों को दिया गया।

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को कुलसचिव/सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। योजना बोर्ड द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर विचारोपरान्त प्रस्तावों पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया गया:-

प्रस्ताव संख्या-06.01- योजना बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 22.07.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में।

प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि योजना बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 22.07.2019 के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि कार्यवृत्त में कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथा समय अवगत करा दिया जाय, इस पर किसी भी सदस्य से कोई संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है।

निर्णय:- योजना बोर्ड द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 22.07.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या-06.02- योजना बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 22.07.2019 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि 'कोविड 19' वैश्विक महामारी संक्रमित होने एवं माननीय कुलाधिपति/राज्यपाल महोदय से विश्वविद्यालय की बैठकों का आयोजन किये जाने की अनुमति प्राप्त न होने के कारण योजना बोर्ड की षष्टम बैठक काफी विलम्ब से आहुत की जा रही है। अतएव योजना बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 22.07.2019 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में शासन को संदर्भित प्रस्तावों को छोड़कर अन्य समस्त प्रस्तावों पर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

निर्णय:- योजना बोर्ड द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 22.07.2019 के निर्णयों पर विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कृत कार्यवाही पर सर्वसम्मति से सहमति के साथ अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव संख्या-06.03- विश्वविद्यालय के 08 क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु ढांचागत एवं आधारभूत संरचनाएं विकसित किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय सेवाएं निदेशालय से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएं द्वारा योजना बोर्ड को विस्तार से अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के 08 क्षेत्रीय केन्द्र उत्तराखण्ड राज्य के अलग-अलग स्थानों में स्थापित है जिसमें से 04 कुमाऊँ और 04 गढ़वाल मण्डल में है। विश्वविद्यालय के पास स्वंय के भवन न होने के कारण इन क्षेत्रीय कार्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों में संचालित किया जा रहा है जिसमें संबंधित महाविद्यालय से एक प्राध्यापक को क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है तथा 08 सहायक क्षेत्रीय निदेशक शासन द्वारा स्वीकृत पद के सापेक्ष विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये हैं। बुनियादी ढांचे एवं मानव संसाधन के अभाव में सहायक क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा विश्वविद्यालय मुख्यालय से ही अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु ढांचागत एवं आधारभूत संरचनाएं विकसित किये जाने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें मुख्यत: निम्नवत् बिन्दु समाहित किये गये है :-

1. क्षेत्रीय केन्द्रों पर बुनियादी ढांचे का विकास।
2. क्षेत्रीय केंद्रों के कार्य और क्षेत्रीय निदेशक और सहायक क्षेत्रीय निदेशक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां।
3. क्षेत्रीय निदेशक और सहायक क्षेत्रीय निदेशक की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ।
4. क्षेत्रीय केंद्रों पर मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता।

निर्णय:- योजना बोर्ड द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न तद्संबंधी विस्तृत प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से मत व्यक्त किया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु मानव संसाधन एवं बुनियादी ढांचे हेतु प्रस्तुत बजट वित्तीय दृष्टिकोण व मानकों के अनुरूप नहीं है। योजना बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव में निम्नवत् आवश्यक संशोधन किये जाने की संस्तुति की गयी:-

- Budget Requirement हेतु प्रस्तुत तालिका के क्रम संख्या- 01 पर Room Rent को ₹5 लाख निर्धारित किया जाय।
- क्रम संख्या-04 पर वाहन चालक को क्रम संख्या-06 पर Miscellaneous Expenses में सम्मिलित किया जाय।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

- प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र हेतु प्रस्तुत कुल बजट ₹16,10,000/- को ₹20 लाख निर्धारित किया जाय।
- 08 क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु कुल अनुमानित व्यय को ₹ 01 करोड़ 60 लाख निर्धारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 06.04- विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग हेतु परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं एवं अन्य प्रपत्रों इत्यादि के भण्डारण हेतु परीक्षा भवन के साथ 02 अतिरिक्त हॉल की आवश्यकता के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा योजना बोर्ड को विस्तार से अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं दो सत्रों में आयोजित की जाती हैं जिसमें उत्तर-पुस्तिकाओं व परीक्षाओं के अन्य प्रपत्रों को रखने, प्रपत्रों की छठनी इत्यादि का गोपनीय कार्य किया जाता है। तद्संबंधी कार्यों के सुचारू संचालन हेतु विश्वविद्यालय के पास आवश्यकतानुसार जगह की कमी होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतएव परीक्षा भवन के साथ दो अतिरिक्त बड़े हॉल निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय:- योजना बोर्ड द्वारा परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए परीक्षा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु संबंधित प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या- 06.05- विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के मूल्यांकन को Digitization किये जाने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा योजना बोर्ड को विस्तार से अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं दो सत्रों में उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की जाती है। परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त उत्तर-पुस्तिकाओं को समस्त केन्द्रों से विश्वविद्यालय मुख्यालय में एकत्रित किया जाता है। तत्पश्चात एकत्रित उत्तर-पुस्तिकाओं को मूल्यांकन कार्य हेतु विषय-विशेषज्ञों को मूलरूप में प्रेषित किया जाता है। विषय-विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त समस्त उत्तर-पुस्तिकाओं को पुन: विश्वविद्यालय मुख्यालय, हल्द्वानी में परीक्षा अनुभाग में एकत्रित किया जाता है। इन सब प्रक्रियाओं में काफी समय लग जाता है जिससे यथा समय परीक्षाफल घोषित करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य को Digitization किये जाने हेतु प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। Digitization के अन्तर्गत उत्तर-पुस्तिकाओं को स्कैनर के माध्यम से स्कैन कर PDF प्रारूप में निर्मित किया जायेगा जो परीक्षा अनुभाग में अनुमन्य कम्प्यूटर सिस्टम पर प्रदर्शित होगीं। तत्पश्चात इन उत्तर-पुस्तिकाओं को ऑन-लाइन माध्यम से PDF प्रारूप में विषय-विशेषज्ञों को प्रेषित किया जायेगा। विषय-विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन कार्य पूर्ण किये जाने पर दिये गये अंक परीक्षा अनुभाग के कम्प्यूटर सिस्टम पर प्रदर्शित हो जायेगें जिससे परीक्षाफल समय पर घोषित किये जाने में आसानी होगी। यदि किसी शिक्षार्थी द्वारा अपनी उत्तर-पुस्तिका को देखने का अनुरोध किया जाता है तो उसे भी PDF प्रारूप में तद्संबंधी उत्तर-पुस्तिका उपलब्ध करा दी जायेगी। फिलहाल यह कार्य विश्वविद्यालय द्वारा निविदा के माध्यम से किसी संस्था से अनुबन्ध कर सम्पन्न की जायेगी भविष्य में स्वंय के स्कैनर क्रय किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

निर्णयः- योजना बोर्ड परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत हुई तथा सर्वसम्मति से मत व्यक्त किया गया कि संबंधित प्रस्ताव पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाय। तद्क्रम में Digitization हेतु विभिन्न फर्मो से सम्पर्क स्थापित किया जाय तथा प्रस्ताव पर होने वाले व्यय एवं अन्य आवश्यक पहलूओं की भलि-भांति जॉच किये जाने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य को Digitization किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 06.06- विश्वविद्यालय में 'Directorate of International Relations' की स्थापना किये जाने के संबंध में विचार-विमर्श।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव/निदेशक अकादमिक द्वारा योजना बोर्ड को विस्तार से अवगत कराया गया कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भारत के उत्तराखंड राज्य में एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, जो दूरस्थ शिक्षा माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करता है। अपनी शैक्षणिक और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय का लक्ष्य **'Directorate of International Relations'** स्थापित करना है। यह निदेशालय विभिन्न पहलों के माध्यम से अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

उद्देश्यः- उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रस्तावित **'Directorate of International Relations'** के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

(a) शिक्षण, अनुसंधान और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ संकाय सदस्यों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
(b) पारस्परिक हित के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ संयुक्त अनुसंधान गतिविधियाँ शुरू करना।
(c) अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनारों और अकादमिक बैठकों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
(d) अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विशेष शैक्षणिक कार्यक्रमों को विकसित और निष्पादित करना।
(e) विश्वविद्यालय की विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ संयुक्त परामर्श की सुविधा प्रदान करना।
(f) अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ संयुक्त सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना।
(g) अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ शैक्षणिक सामग्री और अन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना।
(h) अन्य शैक्षणिक, शोध व ज्ञान-विज्ञान के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

कार्यान्वयनः- प्रस्तावित **'Directorate of International Relations'** विश्वविद्यालय के कुलपति की देखरेख में कार्य करेगा। निदेशालय के पास अपनी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक निदेशक और पेशेवरों की एक टीम होगी। निदेशालय के उद्देश्यों को लागू करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाएंगी:-

(a) प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना।
(b) संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों के लिए पारस्परिक हित के क्षेत्रों की पहचान करना।
(c) अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों और अकादमिक बैठकों में संकाय सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
(d) अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विशेष शैक्षणिक कार्यक्रमों का विकास और कार्यान्वयन।
(e) अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ संयुक्त परामर्श की सुविधा प्रदान करना।
(f) अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ संयुक्त सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(g) अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ शैक्षणिक सामग्री और अन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना।

लाभ:- उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 'Directorate of International Relations' की स्थापना से निम्नलिखित लाभ होंगे:-

(a) विश्वविद्यालय शिक्षण, अनुसंधान और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अग्रणी अंतरराष्ट्रीय विद्वानों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने में सक्षम होगा।

(b) संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों से विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और अनुसंधान क्षमताओं में वृद्धि होगी।

(c) अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों और अकादमिक बैठकों में संकाय सदस्यों की भागीदारी से उन्हें अपने क्षेत्रों में नवीनतम विकास के साथ अद्यतन रहने में मदद मिलेगी।

(d) अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विकसित विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम छात्रों को सीखने के अद्वितीय अवसर प्रदान करेंगे।

(e) अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ संयुक्त परामर्श व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अनुसंधान निष्कर्षों के अनुप्रयोग में मदद करेगा।

(f) संयुक्त सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेंगे।

(g) शैक्षणिक सामग्री और अन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान से ज्ञान के प्रसार में मदद मिलेगी।

(h) एशियन एसोसिएशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज (एएओयू) आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वार्षिक निधि का आवंटन:-

'Directorate of International Relations' की स्थापना और इसके उद्देश्यों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए 4 लाख रुपये की वार्षिक निधि के आवंटन का प्रस्ताव है। इस धनराशि का उपयोग संकाय विनिमय कार्यक्रमों से जुड़ी लागतों को कवर करने, स्टाफ एक्सचेंज फॉलोशिप, यात्रा व्यय, आवास, एएओयू जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता शुल्क, कार्यशालाओं और अन्य संबंधित खर्चों की पेशकश के लिए किया जाएगा। धनराशि विश्वविद्यालय के बजट से आवंटित की जाएगी और विश्वविद्यालय की वित्त समिति द्वारा समीक्षा और अनुमोदन के अधीन होगी।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रस्तावित **'Directorate of International Relations'** विश्वविद्यालय को विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों में अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस सहयोग का लाभ शिक्षार्थियों, संकाय सदस्यों और समग्र रूप से विश्वविद्यालय को महसूस होगा। इस निदेशालय की स्थापना विश्वविद्यालय के क्षेत्र में अग्रणी शैक्षणिक संस्थान बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अतएव प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/सुझाव हेतु प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- योजना बोर्ड द्वारा उक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर इस हेतु विश्वविद्यालय की सराहना की गयी तदुपरान्त सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या- 06.07- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2018 में वर्णित व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय में नियुक्त/नियोजित स्थायी/अस्थायी अध्यापकों के कार्यभार (Workload) के संबंध में विचार-विमर्श।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि शिक्षकों के कार्यभार **(Workload)** का शिक्षक की दक्षता, प्रभावशीलता तथा शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शिक्षा प्रदान करने के स्रोतों में शिक्षक की महत्वपूर्ण तथा प्रमुख भूमिका होती है। इस क्रम में शिक्षकों से प्रभावी परिणाम देने की अपेक्षा की जाती है। तद्क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम-2018 में शैक्षिक गतिविधियों की प्रकृति निर्धारित की गई है जो निम्नवत है:-

1. व्याख्यान।
2. सेमिनार।
3. प्रयोगिक कार्य।
4. पाठयक्रम संवर्धन।
5. नवीन शिक्षण पद्धतियों का उपयोग।
6. पाठय-सामग्री को अद्यतन करना/पाठ्यक्रम में सुधार।
7. परीक्षा कार्य (प्रश्न पत्रों का निर्माण उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन/आंकलन)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त गतिविधियों हेतु अंक भी निर्धारित किये गये हैं जो API सूचकांक हेतु आवश्यक एवं अनिवार्य हैं। इसी क्रम में शिक्षकों के कार्य-भार (Work Load) के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्न मानक निर्धारित हैं:-

1. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 30 कार्य सप्ताह (180 शिक्षण दिवस) जो सप्ताह में प्रति शिक्षक 40 घंटे से कम नहीं होने चाहिए।
2. स्नातक स्तरीय पाठयक्रमों में न्यूनतम 02 घंटे (प्रति समन्वयक) सामुदायिक विकास/पाठयेत्तर गतिविधियों/परामर्श हेतु निर्धारित हैं।
3. स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में न्यूनतम 02 घंटे अनुसंधान कार्यों हेतु निर्धारित हैं।
4. शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के लिये सहायक आचार्य सह-आचार्य तथा आचार्य हेतु निर्धारित मानक निम्नवत् है:-

सहायक आचार्य	-	16 घंटे
सह-आचार्य एवं आचार्य	-	14 घंटे

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय हेतु अतिरिक्त शैक्षिक पदों की मांग हेतु प्रस्तावों पर शासन द्वारा शिक्षकों के कार्यभार (Work Load) के संबंध में पृच्छा की जाती रही है। तद्क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2018 में वर्णित व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय में नियुक्त/नियोजित स्थायी/अस्थायी अध्यापकों के कार्यभार (Work Load) के संबंध में प्रस्ताव योजना बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णयः- योजना बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा सर्वसम्मति से संस्तुति की गयी कि सीका के माध्यम से संबंधित प्रस्ताव पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाय। विश्वविद्यालय अनुदान

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

आयोग विनियम-2018 द्वारा निर्धारित API सूचकांक को पूर्ण न करने वाले अस्सिटेंट प्रोफेसर (ए.सी.) के प्रत्येक छः माह में विस्तारित की जाने वाली सेवावधि को उक्त के आलोक में ही कार्यान्वित किया जाय तथा स्थायी शिक्षकों को कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) का लाभ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (डेब) के मानकानुसार दिया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 06.08- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय हेतु विभिन्न योजनाओं के संबंध में विचार-विमर्श।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय हेतु निम्नलिखित योजनाएं प्रस्तावित हैं:-

क्रम संख्या	योजना का नाम	अनुमानित लागत
1.	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में मुक्त एंव दूरस्थ शिक्षा पर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	200.00 लाख
2.	Centre of excellence for AI and IoT	100.00 लाख
3.	केन्द्रीय पुस्तकालय भवन	200.00 लाख
4.	आर्दश अध्ययन केन्द्र देहरादून परिसर	500.00 लाख
5.	ई0एम0पी0सी0 एंव वीडियो स्टूडियो	400.00 लाख
6.	विज्ञान भवन के द्वितीय तल पर भूगर्भ एंव पर्यावरण विज्ञान विभाग हेतु फ्रिबीकेडट भवन का निर्माण	100.00 लाख
7.	बहुउद्देशीय भवन में एयर कंडीशनर, प्रकाश एंव फर्नीचर	100.00 लाख

निर्णय:- योजना बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या- 06.09- वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु प्राविधानित विभागवार बजट के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर वित्त नियंत्रक द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु विश्वविद्यालय में पहली बार विभागवार बजट प्राविधान की व्यवस्था की गयी है। विभागों को प्रथम किस्त के रूप में कुल प्रस्तावित धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि व्यय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। 25 प्रतिशत धनराशि व्यय करने के उपरान्त ही अगली किस्त दी जायेगी। संबंधित प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की वित्त समिति एवं तदक्रम में कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। योजना बोर्ड के समक्ष भविष्य के लिए सुझाव हेतु उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- योजना बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार अनुमोदन दिया गया:-

1. विभागों के साथ विद्याशाखा का बजट पृथक से निर्धारित किया जाय।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

2. विश्वविद्यालय के परिसर कार्यालय देहरादून व आर्दश अध्ययन केन्द्र, देहरादून हेतु पृथक से बजट निर्धारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 06.10- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वित्तीय योजना, प्रशासनिक योजना, अकादमिक योजना एवं अवस्थापना योजना से संबंधित अन्य कोई प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या- 06.10.01- विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित विद्याशाखाओं के पुर्नगठत पर विचार-विमर्श।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अकादमिक योजना के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में निदेशक अकादमिक द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली में कुल 14 विद्याशाखाओं की व्यवस्था प्राविधानित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विद्याशाखाओं की संख्या अधिक होने एवं तदक्रम में विद्याशाखा निदेशकों की संख्या काफी कम होने के कारण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान किये जाने पर आपत्ति की जा रही है। अतएव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आपत्ति के क्रम में विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्राविधानित उक्त विद्याशाखाओं का पुर्नगठन किये जाने हेतु प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- योजना बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से मत व्यक्त किया गया कि संबंधित प्रकरण पर विस्तृत कार्य योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता है, तांकि तदनुसार ही विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्राविधानित 14 विद्याशाखाओं में संशोधन हेतु प्रस्ताव माननीय कुलाधिपति जी को प्रेषित किया जा सके। यू0जी0सी0 के दिशा-निर्देशानुसार विद्याशाखाओं का पुर्नगठन किये जाने हेतु निदेशक, अकादमिक की अध्यक्षता में समस्त विद्याशाखा निदेशकों की एक समिति गठित किये जाने हेतु योजना बोर्ड द्वारा कुलपित जी को अधिकृत किया गया।

2. योजना बोर्ड का नवीन नाम Planning and Development Board किये जाने पर सहमति हुई।
3. प्रवेश और परीक्षा को एक साथ मिलाकर Directorate of Admission and Evaluation किये जाने की संस्तुति की गयी जिस पर कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु समिति गठित किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।
4. विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ अनुबन्ध-पत्र हस्ताक्षर किये जाने की संस्तुति की गयी।
5. विश्वविद्यालय द्वारा ग्राम सभा पर पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की संस्तुति की गयी।

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त योजना बोर्ड के सदस्य सचिव/ कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

06/9/23

कुलसचिव/सदस्य सचिव, योजना बोर्ड

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति/अध्यक्ष, योजना बोर्ड

6/9/23

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला: नैनीताल (उत्तराखण्ड)